43

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमाक 132-दो/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 28-01-08 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 238/अपील/2002-03

.....

राम सिंह आत्मज श्री परदेशी गोड़
निवासी-ग्राम पपरोड़ी, तहसील-जैतहरी
जिला-अनूपपुर(म.प्र.)

-----आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती फूलमती पत्नी श्री बेसाहन सिंह गोड़
निवासी- पचौंहा, तहसील जैतहरी,
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

------अनावेदिका

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आदेश ::

{ आज दिनांक 5/4/18 को पारित }

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 {जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा} की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-01-08 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा ग्राम पपरोड़ी पटवारी हल्का पड़रिया तहसील जैतहरी जिला-अनूपपुर स्थित खसरा क्रमाक 19/1/2 क रकबा 0.881 हैक्टेयर, 253 रकबा 0.097 हैक्टेयर, 236 रकबा 0.065 हैक्टेयर, 242 रकबा 0.061 हैक्टेयर, 243 रकबा 0.129 हैक्टेयर, 350 रकबा 0.077 हैक्टेयर, 372/2 रकबा 0.121 हैक्टेयर, 533/2 हैक्टेयर, 552/2 रकबा 0.466 हैक्टेयर, 560 रकबा 0.182 हैक्टेयर, 561 रकबा 0.109 हैक्टेयर, 570/1 रकबा 0.085 हैक्टेयर, 837/2 रकबा 0.283 हैक्टेयर कुल 13 किता कुल रकबा 2.832 हैक्टेयर का खसरे कॉलम नं. 12 में कब्जा दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार जैतहरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 27-12-01 से आवेदक का कब्जा कॉलम नं. 12 में दर्ज किये जाने का आदेश दिया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई, जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के आदेश को विधिसंगत माना और आदेश दिनांक 30-11-02 से अनावेदिका की अपील को निरस्त किया । इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदिका द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 238/अपील/2002-03 पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 28-01-08 से अपील स्वीकार की तथा दोनो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त किये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अत: प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक ने विवादित भूमि के खसरा कॉलम नं. 12 में कब्जा दर्ज किये जाने के संबंध में तहसील न्यायालय में आवेदन पेश किया था, जिस पर तहसीलदार

जैतहरी ने विवादित भूमि के कॉलम नं. 12 में कब्जा दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया था, जबकि प्रकरण में संलग्न खसरा कॉलम नं. 3 में अनावेदिका का नाम दर्ज हैं । प्रकरण के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि के मूल भूमिस्वामी अनावेदिका के पिता स्व. सुखराम गोड़ थे । स्थल पंचनामा व पटवारी प्रतिवेदन ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। आवेदक ने विचारण न्यायालय सहित निम्न न्यायालय में वैध कब्जा प्रमाणित करने में असफल रहा है। परन्तु तहसील न्यायालय ने पूरे प्रकरण का निराकरण एक माह में करने में अवैधानिकता की है। अनुविभागीय अधिकारी ने भी गंभीरतापूर्वक प्रकरण का परिशीलन नहीं किया है और तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने में अनुचित कार्यवाही की है। जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश में विस्तारपूर्वक विवेचना कर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी ठोस आधार के अभाव में निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-01-08 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस.एस. अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर